मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 111वीं बैठक दिनांक 23.07.2005 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः पूर्वान्ह 11.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री नवीन चन्द्र बाजपेई कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	श्री जी0 पटनायक, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री डी0सी0 लाखा, प्रमुख सचिव, खाद्य
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री बादल चटर्जी, विशेष सचिव, वित्त
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सचिव
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद, सहायक कृषि विपणन सलाहकार
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री बाबूराम, सहायक निदेशक
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री आनन्द कुमार मिश्र, अपर कृषि निदेशक (सामा0)
11.	निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य	डा0 रजनीश दुबे निदेशक, कृषि विपणन
12.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
01.	मा0 परिषद की 110वीं बैठक दि0 26.02.2005 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 110वीं बैठक दिनांक 26.02.2005 की अनुपालन आख्या।	110वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।
03.	नोएडा में प्रस्तावित पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी की स्थापना विषयक प्रगति आख्या एवं परियोजना पर विचार।	कन्सलटेन्ट द्वारा निर्मित विस्तृत परियोजना आख्या (डी0पी0आर0) को कतिपय संशोधन के साथ अनुमोदित करते हुए निम्न निर्णय लिया गया– 1. पुष्प नीलामी केन्द्र का संचालन आउट सोर्सिंग के माध्यम से कॉरपोरेट ग्रोवर या ग्रोवर कम – ट्रेडर से कराने एवं इसे 5 वर्षो की मैनेजमेन्ट लीज पर देने का निर्णय लिया गया। नवीनीकरण का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। 2. नीलामी केन्द्र से बाहर स्थित कोल्ड स्टोरेज तथा मूल्य संवर्धन केन्द्र की भूमि को 30 वर्षो तक के लिए लीज पर BOT व्यवस्था में देने का निर्णय किया गया। 3. परियोजना लागत रू0 2031.77 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। 4. प्रस्तावित 72 दुकानों में से उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश तथा उत्तरांचल हेतु 2–2 कुल 6 दुकानें प्रदेश सरकारों द्वारा अनुमोदित एजेन्सी को छोटे पुष्प उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु आरक्षित करने तथा 4 दुकानें आक्सीलीयरी कार्यो के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। 5. प्रीक्वालीफिकेशन बिड डाकुमेन्ट पर कन्सलटेन्ट द्वारा बनायी गयी टेण्डर शर्ते स्वीकृत की गयी परन्तु मिनिमम प्रिक्वालीफिकेशन क्राइटेरिया क्रमांक ए (बी) पर “Similar Work” के उल्लेख का आशय मात्र पुष्प नीलामी केन्द्र–सह–थोक मण्डी ही नहीं वरन इसी प्रकार के आधुनिक भवन जिनमें एयर कन्डीशनिंग अथवा कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जैसे– सुपर मार्केट, मल्टी प्लेक्स आदि भी शामिल समझे जायें। निर्माण प्रक्रिया अनुमोदित की गई। 6. पुष्प नीलामी केन्द्र की आउट सोर्सिंग एवं

		कोल्ड स्टोरेज एवं मूल्य संवर्द्धन केन्द्र के BOT पर निर्माण/ संचालन हेतु फर्म का चयन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि यह समिति समय–समय पर परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा करती रहेगी।
04.	मैंगो पैक हाउस एवं नवाब ब्राण्ड आम के विपणन पर विचार।	मैंगो पैक हाउस की संचालन विषयक गतिविधियों एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के अधिकारियों की सेवायें प्राप्त किये जाने की दशा में उन्हें भी मण्डी तथा कृषि विपणन के सम्बद्ध कर्मचारियों के साथ–साथ यथोचित मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया। कृषि विकास निधि के अन्तर्गत "नवाब" आम विपणन के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा नवाब ब्राण्ड आम को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में आम निर्यात हेतु हवाई/ समुद्री भाड़े हेतु अनुदान प्रदान करने के निमित्त नियमावली बनाने एवं क्रियान्वित करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले आमों को नवाब ब्राण्ड के अधीन हवाई/ समुद्री मार्ग से निर्यात किये जाने की दशा में रू0 10.00 प्रति कि0ग्रा0 तथा सड़क परिवहन से गैर–रूपये निर्यात की दशा में रू0 5.00 प्रति कि0ग्रा0 की ब्राण्ड प्रमोशन सहायता वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 आगामी तीन वर्षो के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष इस हेतु निर्यात फैसिलिटेशन मद में रू0 15.00 लाख का प्राविधान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। नियमावली बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। पैक हाउस के संसाधनों के वर्ष पर्यन्त सदुपयोग हेतु इसमें वैकल्पिक फल/ सब्जी पैकिंग एवं ग्रेडिग लाइन लगाने का निर्णय लिया गया तथा मा0 अध्यक्ष को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया।
05.	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में कतिपय संशोधन पर विचार।	मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 2, 7, 9, 10, 17, 17–A, 19, 20, 22, 26, 26–B, 26–Y, 37–A के संशोधन, धारा 21–A, 21–B, 21–C, 21–D, 21–E, 21–F, 21–G, 21–H, 21–I, 21–J, 21–K, 21–L के इंसर्शन तथा धारा 33 के

		ओमीशन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके साथ संलग्नक–12 पृष्ठ संख्या– 131–155 को अनुमोदित किया गया जो कार्यवृत्त का अंश माना जायेगा। यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 149 पर अध्याय 4 के पैरा 21–जे के क्रमांक 3 के नोट – "Modern market may include fruits, vegetable fish and flower market and any other category of market allowed by the State Government by notification in the gazette." के स्थान पर "Modern market may include fruits, vegetable fish and flower market and any other category of market as identified by the Board." संशोधित किया जाय।
06.	कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय मण्डियों, विशिष्ट मण्डियों एवं कृषक सेवा केन्द्र के निर्माण पर विचार।	प्रस्तावानुसार कृषि विविधीकरण परियोजना से वित्तीय सहायता अनुदान स्वरूप प्राप्त कर ब्लाक स्तरीय मण्डियों, विशिष्ट मण्डियों एवं कृषक सेवा केन्द्रों के निर्माण कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। एजेण्डा पुस्तिका के पृष्ठ 156 से 158 को कार्यवृत्त का अंश समझा जायेगा।
07.	प्रदेश के नवीन मण्डी स्थलों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व रख रखाव/ संचालन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	प्रदेश के 20 नवीन मण्डी स्थलों में पाइलट बेसिस पर संस्था "सुलभ इण्टर नेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन" के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण व रख रखाव/ संचालन की व्यवस्था की कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया। तद्नुसार शासन को बोर्ड की संस्तुति प्रेषित की जाय।
08.	मण्डी स्थलों/ उप मण्डी स्थलों के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पर विचार।	मण्डी स्थल/ उप मण्डी स्थल मुस्करा, नौगढ़, देवचरा, खलीलाबाद, गोसाईगंज एवं विलसण्डा के निर्माण कराने की स्वीकृति प्रस्तावानुसार मा0 परिषद द्वारा प्रदान की गयी।
09.	कृषि उत्पादों का प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर निर्यात फैसीलिटेशन सम्बन्धी दायित्व के प्रस्ताव पर विचार।	कृषि उत्पादों के प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर निर्यात फैसीलिटेशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव के अनुसार कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात विशेषज्ञ सलाहकारों का पैनल चयनित करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को निम्नवत् अनुमोदित किया गया। सलाहकार पैनल (सेक्टर–1) 1. ग्लोबल एग्री सिस्टम प्रा0लि0, के–13ए हौजखास इन्कलेव, नई दिल्ली– 110016 2. सुमन प्रोजेक्ट कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, बी–168, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली–110065

		3. फोरटेल बिजनेस सोल्यूशन प्रा0लि0, 3530, 13 एच0 मैन, प्रथम क्रास रोड, एच0ए0एल0, द्वितीय स्टेज, बंगलौर–560008 सलाहकार पैनल (सेक्टर–2 (बी)) 1. चौ0 चरण सिंह नेशनल इन्स्टीटयूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोटा रोड बिम्बाला नियर, सुनगानर, जयपुर (राजस्थान) 2. नेशनल सेन्टर फार ट्रेड इनफारमेशन, एन0सी0टी0आई0 काम्पलेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली– 110001 (मात्र निर्यातकों एवं उद्यमियों के प्रशिक्षण हेतु) 3. कालेज आफ एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट, जी–बी पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नालाजी पन्त नगर, उधमसिंह नगर उपर्युक्तानुसार चयनित पैनल का कार्यकाल 03 वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2008 तक रहेगा। चयनित फर्मो से मितव्ययिता तथा समय की बचत के लिए लिमिटेड फाईनेन्शियल बिड के आधार पर कार्य कराया जाएगा। अग्रेतर कार्रवाई हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
10.	प्रदेश की मण्डियों में निर्मित एग्री बिजनेस एवं सर्विस सेन्टर (कृषक सेवा केन्द्र) की दुकानों का किराया कम करने के सम्बन्ध में विचार।	मण्डी समिति, इटावा एवं उरई में निर्मित एग्री बिजनेस एवं सर्विस सेन्टर (कृषक सेवा केन्द्र) की दुकानों के किराये का निर्धारण 20 वर्ष की अवधि के स्थान पर 40 वर्ष की अवधि के अनुसार किए जाने तथा यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 बीज विकास निगम को आवन्टित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2004–05 के कतिपय बिन्दुओं से मण्डी परिषद की आय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार।	खादय प्रसंस्करण उद्योग नीति के राजकोषीय शीर्षक के बिन्दु संख्या– 6 से मण्डी परिषद की आय पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव और प्रस्ताव के साथ मण्डी निदेशक के पत्र संख्या 260 दिनांक 11.04.05 को अनुमोदित किया गया तथा खादय प्रसंस्करण उद्योग नीति 2004 के राजकोषीय शीर्षक के विन्दु संख्या 06 को निरस्त किये जाने की संस्तुति मा0 परिषद की ओर से शासन को किये जाने का निर्णय लिया गया।
12.	गोरखपुर मत्स्य मण्डी स्थल में व्यापार हेतु निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में शिथिलता प्रदानकर तीन	जिलाधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के आधार पर गोरखपुर मत्स्य मण्डी स्थल में व्यापार स्थानान्तरण हेतु निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में

	वर्ष के मण्डी शुल्क के आधार पर दुकान आवन्टन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	शिथिलता प्रदान कर परिषद पत्रांक 1062 दिनांक 21.10.1993 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मण्डी शुल्क/ टर्नओवर के आधार पर दुकान आवन्टन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसे अन्य मण्डियों हेतु दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।
13.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया और निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में साफ्टवेयर तथा द्वितीय चरण में नेटवर्किंग तथा हार्डवेयर सम्बन्धी कार्य किया जायेगा। समिति की बैठक दिनांक 04.05.05 के कार्यवृत्त तथा तैयार किये गये आर0एफ0पी0 अभिलेख, ग्लोबल टेण्डर इन्विटेशन तथा बी0पी0डी0 का अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1518/78 आई0टी0–2–2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 के अनुसार संस्था स्तर पर कार्य कराने तथा पूर्व नामित वाह्य विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
14.	मण्डी समिति अधिकारियों/ कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष किये जाने के शासनादेश संख्या–932/80–1–2005– 600 (439) /2001 दिनांक 16.05.2005 पर विचार।	मण्डी समिति अधिकारियों/ कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष किये जाने के शासनादेश संख्या– 932/80–1–2005– 600 (439)/2001 दिनांक 16.05.2005 को शासनादेश की तिथि से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
15.	प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के दृष्टिगत लिखित परीक्षा की कार्यवाई उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से कराने के सम्बन्ध में विचार।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की अधिक संख्या के दृष्टिगत लिखित परीक्षा की कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। संचालक मण्डल की 110वीं बैठक में लिए गये निर्णय को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
16.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में नियमित से भिन्न कार्मिको को श्रमायुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक प्रदान किये जाने पर विचार।	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में नियमित से भिन्न कार्मिको को श्रमायुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से आवर्त विभिन्न नियोजनों में देय विशेष जीवन निर्वाह भत्ते की दरें, श्रमायुक्त के विभिन्न पत्रों द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित की गयी है, जिसके अनुसार मण्डी

		परिषद/ मण्डी समितियों के गैर नियमित कार्मिकों का पुनरीक्षित दरों से अवशेष पारिश्रमिक के भुगतान का प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। भविष्य के लिए श्रमायुक्त द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार बढ़ी हुई दरों को मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में लागू करने हेतु मा0 अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। लागू की गई दरों से यथासमय मा0 परिषद को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।
17.	मण्डी परिषद/ मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की कार्योत्तर पर विचार।	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत 10 कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम हेतु रू0 4.35 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1.	प्रदेश में मोटे चावल के निर्यात पर रू0 40.00 प्रति कुन्तल की दर से दिये जाने वाले अतिरिक्त छूट को समाप्त करने पर विचार।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया एवं प्रदेश के मोटे चावल के निर्यात पर रू0 40.00 प्रति कुन्तल की दर से दिये जाने वाले अतिरिक्त छूट को समाप्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा शासन को तद्नुसार बोर्ड की संस्तुति भेजने का निर्णय लिया गया।
2.	नवीन मण्डी स्थल, छुटमलपुर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	तत्कालीन मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 03.03.03 में लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए प्रस्तावानुसार नवीन मण्डी स्थल, छुटमलपुर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश